



शहरी समाचार

नई सोच नई पहल



■ नगरीय प्रशासन निदेशालय, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखंड सरकार का प्रकाशन

दिसंबर, 2020 : मासिक

नगरीय बुलेटिन

पृष्ठ : 8 : मूल्य : नि:शुल्क



DAY-NULM

Deendayal Antyodaya Yojana-National Urban Livelihoods Mission



आत्मनिर्भर भारत



नगरीय प्रशासन निदेशालय,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
झारखंड सरकार



■ एलइडी बल्ब की तरह दमक रहा सुशीला महिला समिति की बहनों का चेहरा

■ आस्था के महापर्व छठ पर दिया स्वच्छता का संदेश

■ शहरी अकुशल श्रमिकों को मिले 100 दिन के **guaranteed** रोजगार के नए अवसर..!



संदेश

जोहार,
झारखंड सरकार की प्रतिबद्धता
है कि राज्य का समेकित विकास
हो. इसके लिए हमारी सरकार
संकल्पबद्ध है कि आमजन को ज्यादा से
ज्यादा सुविधाएं मिल सकें. नगरीय
विकास हेतु सरकार विभिन्न योजनाओं
को लागू कर संचालित कर रही है. इनमें
उच्चतम साफ-सफाई व्यवस्था, शुद्ध
पेयजल लोगों तक पहुंचना, चौड़ी सड़कें
और नालों का निर्माण शामिल हैं.
सरकार आवास निर्माण अंतर्गत हर
शहरी गरीब को घर देगी. राष्ट्रीय शहरी
आजीविका मिशन अंतर्गत विभिन्न
योजनाएं जैसे पीएम स्वनिधि, शहरी
गरीबों के लिए कौशल प्रशिक्षण, आश्रय
गृह, स्वयं सहायता समूह, श्रमिक
योजनाओं से लाभ पहुंचाने का प्रयास
कर रही है. साथ ही शहरी योजनाओं से
संबंधित अपनी समस्याओं को लोग
सरकार के समक्ष ला सकें, इस हेतु लोक
शिकायत प्रबंधन प्रणाली का संचालन
कॉल सेंटर के माध्यम से किया जा रहा
है. मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी के
सहयोग से शहरी विकास के क्षेत्र में नए
आयाम स्थापित होंगे. नगरीय प्रशासन
निदेशालय द्वारा प्रकाशित की जा रही
मासिक पत्रिका 'शहरी समाचार' के
प्रथम संस्करण की शुभकामनाएँ.
धन्यवाद!

हेमंत सोरेन

माननीय मुख्यमंत्री, झारखंड

रांची नगर निगम ने दिखाई स्वावलंबन की राह

एलइडी बल्ब की तरह दमक रहा सुशीला महिला समिति की बहनों का चेहरा

रांची। सुशीला महिला समिति, हरमू की बहनें आज अपनी मेहनत और लगन की बदौलत आत्मनिर्भर बन चुकी हैं. रांची नगर निगम के सामुदायिक संगठनकर्ताओं की सलाह और मार्गदर्शन ने घरों में रहनेवाली इन महिलाओं का जीवन पूरी तरह से बदल दिया है. ये महिलाएं अब एलइडी बल्ब बनाती हैं और अब इनका चेहरा भी उनके बल्बों की तरह ही दमकता है.

10 महिलाओं ने 10-10 रुपये से की शुरुआत: सुशीला महिला समिति का गठन दिनांक 29.09.2019 को रांची के हरमू क्षेत्र में किया गया. मात्र 10 महिलाओं को जोड़कर यह समिति बनायी गयी एवं 10 रुपये प्रति महिला बचत कर इस समिति की शुरुआत की गयी.

नगर निगम के संगठनकर्ताओं ने किया प्रेरित: नगर निगम में कार्यरत सामुदायिक संगठनकर्ताओं, श्रीमती शीला तिकी, श्रीमती रेज मधु तिकी, सुश्री सुमन टोप्पो एवं श्री राकेश

कुमार खि ने इन महिलाओं को समिति के गठन के बारे में जानकारी दी. समिति गठन एवं बचत करने के उपरान्त इन्हें एलइडी बल्ब बनाने का प्रशिक्षण दिलाया गया. उन्होंने इन महिलाओं को प्रेरित किया एवं उनका मार्गदर्शन करते हुए विकास भारती संस्था से प्रशिक्षण भी दिलाया और वर्तमान में भी किसी भी प्रकार की मदद की आवश्यकता होने पर ये सभी सामुदायिक संगठनकर्ता तैयार रहते हैं.

महीने में 50-60 हजार की हो रही आमदनी : वर्तमान में सुशीला महिला समिति में कार्य करनेवाली महिलाएं प्रतिमाह 50-60 हजार रुपये की आमदनी कर लेती हैं. इनके द्वारा प. बंगाल के पुरुलिया तथा झारखंड के बोकारो, धनबाद एवं रांची के कोकर, चुटिया, हरमू इत्यादि क्षेत्रों में एलइडी बल्ब की बिक्री की जाती है. समिति की महिलाएं आज आर्थिक रूप से सशक्त हैं एवं अपने परिवार की भी बेहतर देखभाल कर रही हैं.



एलइडी बल्ब बनाती सुशीला महिला समिति की सदस्य.

कई अड़चनें भी आयीं इस राह में

1 इस कार्य के दौरान इन महिलाओं को परिवार के सदस्यों से ही जूझना पड़ा. परिवार के सदस्यों का कहना था कि ये सभी कार्य महिलाएं खुद कैसे कर पायेंगी, क्योंकि ये अधिकतर पुरुषों के द्वारा किये जाते हैं.

2 एलइडी बल्ब बनाने के दौरान उसमें बहुत सारे पार्ट्स की आवश्यकता होती है, जो कि थोड़े महंगे होते हैं. शुरुआत में इन बहनों को इन पार्ट्स को खरीदने के लिए वित्तीय समस्या से भी जूझना पड़ा था.

3 यह कार्य शुरू करते समय सुशीला महिला समिति की सदस्यों को समाज के तरह-तरह के सवालों का भी सामना करना पड़ा था. जैसे ये तो मर्दों का काम है, तुम कैसे कर पाओगी. इनको बाजार में कैसे बेच पाओगी.

सबसे पहले परिवार और समाज ने सराहा

एलइडी बल्ब बना लेने और उसकी सफल मार्केटिंग के बाद इन बहनों को सबसे पहली सराहना उन लोगों से ही मिली, जिन्होंने उनके इस उद्यम को लेकर सवाल खड़े किये थे. यानी परिवार और समाज. परिवार और समाज के लोगों ने जब देखा कि इन महिलाओं ने अपने जज्बे और लगनशीलता से इस काम को सफल कर दिखाया, तो उनकी खूब प्रशंसा हुई. परिवार और समाज में इनकी इज्जत और अधिक बढ़ गयी.



सुशीला महिला समिति द्वारा बनाये गये एलइडी बल्ब के साथ ममता सिंह.

डीडी न्यूज ने भी दिया कवरेज

फिर डीडी न्यूज ने इन महिलाओं की मेहनत को सराहा और इनका उत्साह तब दोगुना हो गया, जब इनके द्वारा एलइडी बल्ब बनाने की प्रक्रिया को डीडी न्यूज चैनल पर दिखाया गया.

केंद्रीय मंत्री ने भी ट्वीट किया

डीडी न्यूज की कवरेज देख कर तत्कालीन केंद्रीय मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण श्री रामविलास पासवान ने ट्वीट कर इस महिला समिति के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि इन्होंने आत्मनिर्भर भारत अभियान को आगे बढ़ाने में मिसाल कायम की है और राष्ट्र की अर्थव्यवस्था की मजबूती में अहम भूमिका निभा रही है.



बल्ब बनाने के उपकरण.



आश्रय विहीनों के लिए निःशुल्क आश्रय गृह



दिनांक 28.10.2020 को डॉ० अरविंद कुमार पांडेय, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय आश्रय प्रबंधन समिति (SLSMC) की अध्यक्षता में दीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) परियोजना के अंतर्गत संचालित आश्रयगृहों की प्रगति की समीक्षा बैठक की गई। बैठक में श्री विनय कुमार चौबे, सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, सुश्री विजया जाधव, निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय, श्री शैलेश प्रियदर्शी, सहायक निदेशक, ऊर्जा-ठवछट एवं राज्य मिशन प्रबंधक उपस्थित थे। समीक्षा बैठक में निर्देश दिए गए कि, सभी आश्रयगृहों का गुणवत्तापूर्ण संचालन किया जाना सुनिश्चित किया जाए एवं सभी निकायों द्वारा आश्रयगृहों से संबंधित



व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, आश्रयगृहों में सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हो, यथा- पीने का स्वच्छ पानी, साफ बिछौना, ओढ़ने हेतु कंबल, मच्छरदानी, शौचालय, स्नानागार, बिजली की उपलब्धता, सैनिटाइजर, साबुन की व्यवस्था इत्यादि। पूरी तरह से सुरक्षित परिवेश प्रदान किया जाए, साथ ही सभी आश्रयगृह संचालन एजेंसी, रात्रि में निकाय क्षेत्र में घूम कर rescue का कार्य करना सुनिश्चित करें।



कोलघट्टी किफायती आवास परियोजना में पंजीकरण के लिए आवास मेला का आयोजन

प्रधानमंत्री आवास योजना के तृतीय घटक अंतर्गत हजारबाग नगर निगम में 300 अद्वितीय आवास का निर्माण कराया जा रहा है। इस योजना के नाम कोलघट्टी किफायती आवास परियोजना रखा गया है। इस परियोजना के जागरूकता एवं इच्छुक लाभुकों को पंजीकृत करने हेतु दिनांक 07.11.2020 को टाउन हॉल, हजारबाग में आवास मेला का आयोजन किया गया था। इस आयोजन में सभी वार्ड पार्षद, महापौर, उप-महापौर तथा नगर आयुक्त उपस्थित थे। इसके अतिरिक्त लाभुकों को आवास लोन से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न बैंकों के पदाधिकारी भी मौजूद थे।

आयोजन में नगर प्रबंधक द्वारा विस्तार से कोलघट्टी किफायती आवास परियोजना से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराई गई जिसमें मुख्यतः योजना अंतर्गत आवास प्राप्त करने हेतु निर्धारित पात्रताएँ, प्रति आवास कीमत (3.64 लाख रुपये) एवं इसके भुगतान का प्रक्रिया, जरूरी दस्तावेज आदि पर चर्चा की गई। कोलघट्टी किफायती आवास परियोजना अंतर्गत आवास मेला में 30 लाभुकों द्वारा पंजीकरण कराया गया। आयोजन में यह भी निर्णय लिया गया कि 100 लाभुकों को पंजीकरण के बाद सभी लाभुकों के बीच लॉटरी के माध्यम से आवास आवंटित कर दिया जायेगा।

शहरी अकुशल श्रमिकों को मिले 100 दिन के **guaranteed** रोजगार के नए अवसर..!



दिनांक 14 अगस्त 2020 को माननीय मुख्यमंत्री, झारखंड द्वारा मुख्यमंत्री श्रमिक (शहरी रोजगार मंजूरी पर कामगार) योजना का शुभारंभ किया गया।

योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले वयस्क अकुशल श्रमिकों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों का गारंटी युक्त रोजगार उपलब्ध कराया जाना है ताकि गरीब परिवारों को खाद्य सुरक्षा मिले, उनके पोषण के अवसर बढ़ें व उनके उत्तरोत्तर जीवन में सुधार आए। शहरी क्षेत्रों में साफ-सफाई, स्वच्छता और शुद्ध वातावरण का सृजन हो, हरियाली का विस्तार हो, विभिन्न संचालित योजनाओं की समसम

मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के तहत निबंधित परिवारों को काम दिये जाने के लिए योजनाओं की प्राथमिकता इस प्रकार निर्धारित है

- शहरी स्थानीय निकाय की योजनाएं
- नगर विकास एवं आवास विभाग अंतर्गत गठित विभिन्न संकायों द्वारा संचालित योजनाएं
- शहरी स्थानीय निकायों में राज्य सरकार के

- अन्य विभागों द्वारा संचालित अन्य योजनाएं
- शहरी गारंटी योजना के तहत काम आवंटित करने के लिए आवश्यक Critical Gap (grant) fund के तहत चिन्हित योजनाएं
- इस योजना के तहत कार्य के स्वरूप को

देखते हुए मशीन के प्रयोग की अनुमति होगी, पर जो काम Critical Gap (grant) fund के तहत लिए जाएंगे उनमें अनिवार्य रूप से न्यूनतम 80% राशि मजदूरी अधिकतम 20% राशि सामग्री पर खर्च की जाएगी

पूरी होने की गारंटी हो, साथ ही विभिन्न संस्थाओं और सार्वजनिक स्थलों का बेहतर रखरखाव हो।

इस योजना के अंतर्गत अकुशल श्रमिक पात्रता रखते हैं जिनकी उम्र कम से कम 18 वर्ष हो व वे 1

अप्रैल 2015 से शहरी स्थानीय निकाय में निवास कर रहे हो।



स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए सुखद क्षण...



धनतेरस और दिवाली त्योहार की पूर्व संध्या पर, नगरीय प्रशासन निदेशालय, झारखंड ने एक सार्थक पहल की और पूरे झारखंड में, ULB कार्यालय के साथ-साथ निदेशालय

कार्यालय के परिसर में 12 नवंबर 2020 से स्टॉल लगा जिसमें मिट्टी के दीपक, तेल, बत्ती, मूर्तियां, जूट के बैग, कपड़े के फूल, लैंप और राष्ट्रीय शहरी आजीविका योजना के तहत स्वयं सहायता समूह द्वारा

निर्मित कई सामान रखे गए थे। पहले ही दिन प्रत्येक ULB से सामान की काफी अच्छी बिक्री हुई। विभाग के अधिकारियों ने भी इन महिलाओं के कार्यों को प्रोत्साहन

देने के उद्देश्य से स्टालों से बढ़चढ़ कर खरीदारी की। माननीय मुख्यमंत्री, झारखंड को भी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के हाथों से दियों के पैकेट भेंट किये गए।

प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों को किया गया जागरूक

प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक-4 के लाभुकों में योजना की जागरूकता बढ़ाने व पारदर्शिता बनाये रखने हेतु सभी नगर निकायों में लाभुकों के बीच पम्पलेट का वितरण किया गया।



प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)

चतुर्थ घटक : लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (BLC) के लाभुक कृपया ध्यान दें :-

- क्या आपके द्वारा निर्मित किया जा रहे प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के आवास निर्माण की नियोजित / फोटोग्राफी सम्पन्न किया जा रहा है ?
- क्या आपके आवास की नियोजित / फोटोग्राफी होने के बाद आपको सम्पन्न किसी का भुगतान किया जा रहा है ?
- क्या आपके निर्माणधीन आवास की नियोजित / फोटोग्राफी / आवास स्वीकृति जल्दवा किताब भुगतान हेतु नगर निकाय के किसी पदाधिकारी अथवा PMC के किसी कर्मी द्वारा अनधिकृत राशि की मांग की जा रही है ?
- क्या आप को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत आवास निर्माण में कोई समस्या आ रही है ?

अगर आपको ऊपर वर्णित किसी भी तरह की कोई समस्या है, तो उसके त्वरित समाधान हेतु नगर निकाय एवं आवास विभाग के टेली ग्राम अथवा नीचे दिए गए चक्रवर्ती से अपनी शिकायत दर्ज करवाएं।

1800-120-2929

कॉन्टैक्ट: 7633928444 | वेबसाइट: pma.dmajharkhand.in

अधिक जानकारी के लिए अपने नगर निगम / नगर परिषद / नगर पंचायत कार्यालय में संपर्क करें। नगरीय प्रशासन निदेशालय, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जागरूकता में जारी।

PMAY-U अंतर्गत आवास के निर्माण हेतु स्वीकृत नक्शा (ले-आउट)

आवास की कुल लागत : 3.62 लाख
सरकार द्वारा अनुदान : 2.25 लाख
लाभुक का अनुदान : 1.37 लाख

भूखण्ड निर्माण क्षेत्रफल - 360 वर्ग मीटर

PMAY-U अंतर्गत आवास के निर्माण कार्य हेतु सरकार से प्राप्त होने वाली वारंटी की शर्तों का विवरण

क्र.सं.	आवास निर्माण का प्रकार	किताब	आगत होने वाली राशि
1	Construction of ground floor and Puccin Dug	आवास निर्माण	45,00,000 रु.
2	Plinth level till final level till Puccin Dug	भूमिगत निर्माण	65,00,000 रु.
3	Ground floor till completion till Puccin Dug	पृथ्वी निर्माण	90,00,000 रु.
4	अंतिम निर्माण के तुरंत होने का आवास पर निर्माण होने के बाद	चतुर्थ निर्माण	22,00,000 रु.

नगर निगम / नगर परिषद / नगर पंचायत द्वारा निर्माण क्षेत्र के अंतर्गत ही निर्माण की शर्तों का पालन किया जायेगा।
नगर निगम / नगर परिषद / नगर पंचायत द्वारा निर्माण क्षेत्र के अंतर्गत ही निर्माण की शर्तों का पालन किया जायेगा।

हमारा सपना... हर शहरी नरीय का हो घर अपना

फ्री टोल फ्री नं. : 1800-120-2929
नगरीय प्रशासन निदेशालय, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जागरूकता में जारी।



कुंदरुकला किफायती आवास परियोजना, रामगढ़ में तृतीय घटक अंतर्गत 140 आवास निर्माणधीन..!

प्रधानमंत्री आवास योजना के तृतीय घटक अंतर्गत नगर परिषद रामगढ़ में 140 अदद आवासों का निर्माण कराया जा रहा है. इस योजना का नाम कुंदरुकला किफायती आवास परियोजना रखा गया है. परियोजना को सफल बनाने के उद्देश्य से इच्छुक लाभुकों को जागरुक एवं पंजीकृत करने हेतु दिनांक 1.9.2020 से 15.9.2020 तक विभिन्न वार्डों में कैप का आयोजन किया गया. इस योजना में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष कार्यपालक पदाधिकारी एवं संबंधित वार्ड के वार्ड पार्षद उपस्थित रहे तथा किफायती आवास योजना की फायदों को बताया गया इसके अतिरिक्त लाभुकों को आवास लोन से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न बैंकों से पदाधिकारी उपस्थित हुए. प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत नगर परिषद रामगढ़ के प्रबंधक द्वारा विस्तृत रूप से जानकारी उपस्थित लाभुकों को दी गई. बताया गया कि आवास प्राप्त करने हेतु निर्धारित पात्रता प्रति आवास कीमत 364000/- रुपये मात्र (तीन लाख चौसठ हजार मात्र) तथा भुगतान की प्रक्रिया जरूरी दस्तावेज आदि पर चर्चा की गई. कुंदरुकला किफायती आवास परियोजना अंतर्गत आवास मेला में कुल 47 सहमति पत्र तथा 10 लाभुकों के द्वारा डिमांड ड्राफ्ट दिया गया है. आयोजन में यह निर्णय लिया गया कि 50 लाभुकों के पंजीकरण के उपरांत लाभुकों के बीच लाटरी के माध्यम से आवास आवंटित किया जाएगा.



**हमारा सपना...
हर शहरी गरीब का हो घर अपना**

आस्था के महापर्व छठ पर दिया स्वच्छता का संदेश

स्वच्छ भारत मिशन के तहत सभी नगरनिकायों में लोक आस्था के महापर्व छठ पर सभी छठ घाटों की साफ सफाई की गई.

सभी नगर निकायों के संबंधित पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से छठ घाटों की साफ-सफाई का निरीक्षण किया तथा कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतु आवश्यक दिशा निर्देश भी प्रदान किए. सभी निकायों में कार्यपालक पदाधिकारियों द्वारा सफाई संवेदकों के साथ बैठक की गई जिसमें छठ घाटों की साफ-सफाई से संबंधित दिशा-निर्देश प्रदान किया कि आप सभी स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए कोविड-19 के नियमानुसार घाटों में माइकिंग की व्यवस्था करें तथा छठ घाटों पर ध्वनि वाहन व ध्वनि स्टाल के माध्यम से कोविड-19 के नियमों के रोकथाम हेतु प्रचार प्रसार करें. कई घाटों के मुख्य द्वार पर स्टाल के माध्यम से कोरोना संक्रमण के रोकथाम हेतु प्रचार-प्रसार भी किया गया. सभी को मास्क पहनने पर विशेष जोर दिया गया व कई स्थलों ओर मास्क व सैनिटाइजर

घाटों पर बांटा गया मास्क और सैनिटाइजर

छठ महापर्व को देखते हुए सभी नगर निगम अंतर्गत विभिन्न छठ घाटों की सफाई का कार्यक्रम युद्ध स्तर पर कराया गया, जिसका परिणाम सभी छठ घाटों पर देखने को मिला. देवघर नगर निगम द्वारा छठ घाटों में स्टाल लगाकर कोरोना महामारी से बचाव हेतु लोगों को मास्क एवं सैनिटाइजर का वितरण किया गया. साथ ही अन्य सभी निकायों के छठ घाटों के विभिन्न स्थानों पर बैनर एवं पोस्टर लगाकर कोरोना महामारी से बचाव हेतु जन-जन तक संदेश भी पहुंचाये गए.

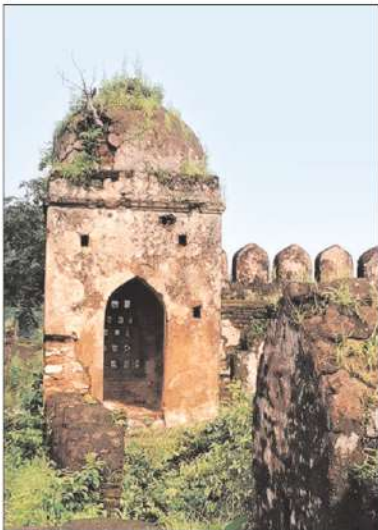
का वितरण भी किया गया. साथ ही आस्था के महापर्व छठ पूजा में सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए भी आग्रह किया गया. छठ घाटों की साफ-सफाई की व्यवस्था को देखकर घाटों पर पहुंचे श्रद्धालुओं व व्रतधारियों ने अपार संतुष्टि दिखाई व सरकार की पहल पर धन्यवाद प्रदान किया.



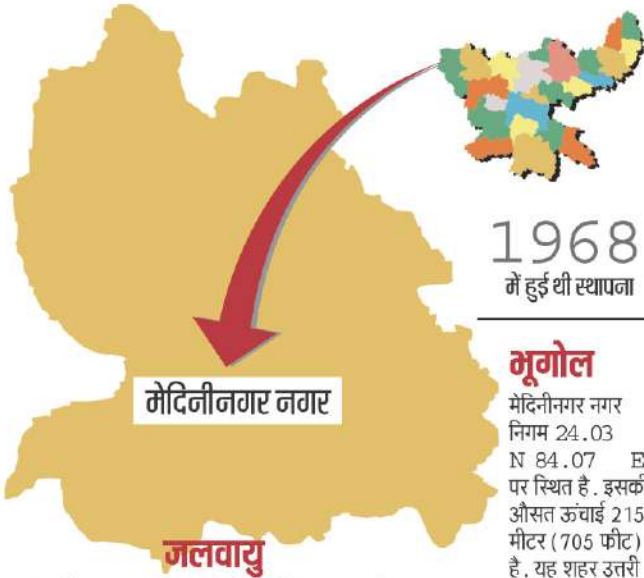
इतिहास को खुद में समेटे है मेदिनीनगर नगर निगम

मेदिनीनगर नगर निगम की स्थापना 30 मई 2015 को हुई थी और झारखंड सरकार द्वारा अगस्त 2017 में इसे आधिकारिक तौर पर नगरनिगम की मान्यता दी गयी. मेदिनीनगर नगरनिगम की स्थापना सरकार द्वारा लाये गये विशेष अधिनियम के तहत की गई थी. इस अधिनियम के तहत उत्तरी कोयल नदी के तट पर स्थित 130 साल पुरानी डाल्टनगंज नगरपालिका को मेदिनीनगर नगर निगम की स्थापना के लिए की अनुमति दी गयी. मेदिनीनगर (डाल्टनगंज) नगरपालिका सबसे पुरानी नगरपालिकाओं में से एक है, जिसे 1868 में स्थापित किया गया था.

डाल्टनगंज (अब मेदिनीनगर) का नाम ब्रिटिश साम्राज्य के काल में इस क्षेत्र के शासक रहे कर्नल एडवर्ड तुडो डाल्टन के नाम के पर पड़ा. यह पलामू प्रमंडल और पलामू जिले का मुख्यालय है. ऐतिहासिक महत्ववाले इस शहर को 35 प्रशासनिक वार्डों में विभाजित किया गया है. 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की आबादी 158941 थी.



पलामू किला : चेरो वंश के जुड़वां किले-राजा मेदिनी राय द्वारा निर्मित हैं .



इस क्षेत्र में गर्मी का मौसम बेहद गर्म और आर्द्र होता है . सर्दियों का मौसम बेहद शीत से लेकर मध्यम शीत होता है .

1968
में हुई थी स्थापना

भूगोल

मेदिनीनगर नगर निगम 24.03 N 84.07 E पर स्थित है . इसकी औसत ऊंचाई 215 मीटर (705 फीट) है . यह शहर उत्तरी कोयल नदी के तट पर स्थित है .

जनसांख्यिकी

2014 की जनगणना के अनुसार, मेदिनीनगर नगर निगम की आबादी 1,20,325 थी. पुरुषों आबादी 53% और महिलाओं की 47% है . मेदिनीनगर की औसत साक्षरता दर 87.29% है, जो राष्ट्रीय औसत 74.04% से अधिक है . इनमें पुरुष साक्षरता 91.92% और महिला साक्षरता की दर 82.10% है .

1. बेतला राष्ट्रीय उद्यान शहर से लगभग 20 किमी दूर स्थित है . यह पार्क भारतीय बाघों के लिए जाना जाता है और पलामू टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत आता है .
2. पास में स्थित एक अन्य पिकनिक स्थल केचकी झील कोयल और औरंगा नदियों के संगम पर मेदिनीनगर से लगभग 18 किलोमीटर दूर

प्रमुख पर्यटन स्थल

- है .
3. पलामू किला : चेरो वंश के जुड़वां किले-राजा मेदिनी राय द्वारा निर्मित है .
4. हुसैनाबाद किला, जिसे मुगल जागीरदार, हिदायत अली खान ने बनवाया था .
- 5 . शाहपुर किला, इसे चेरो शासकों द्वारा निर्मित कराया गया था .

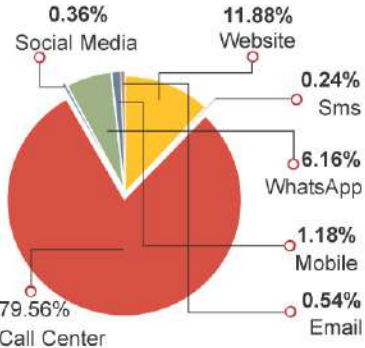
- 6 . विश्रामपुर किला, यह भी चेरो शासकों द्वारा निर्मित किया गया था .
- 7 . काला-काबरा टीला, इनमें हड़प्पा काल की कलाकृतियां अंकित हैं .
- 8 . भीम चूल्हा, 5,000 साल पुराना चूल्हा . किंवदंतियों के अनुसार इस पर भीम पांडवों के अज्ञातवास के दौरान भोजन पकाते थे .

‘लोक शिकायत प्रबंधन प्रणाली’

एक कॉल पर हो रहा है शिकायतों का हल

राज्य की सरकार सभी नगरनिकायों के नागरिकों के मौलिक सुविधाओं की पूर्ति के लिए प्रतिबद्ध है. निकायों द्वारा संचालित नागरिक सुविधाओं का उपयोग करने से संबंधित समस्याओं के निराकरण के लिए कॉल सेंटर के माध्यम से लोक शिकायत प्रबंधन प्रणाली (पीजीएमएस) को लागू किया गया है. पीजीएमएस एक सूचना प्रौद्योगिकी आधारित मंच है, जिसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों की शिकायतों और सुझावों को एकत्र कर संबंधित विभागों तक पहुंचाना और उनका समाधान करना है.

झारखंड राज्य के शहरी निकायों की जनता पीजीएमएस पोर्टल के माध्यम से 24 घंटे सातों दिन शिकायत दर्ज करा सकती हैं. भारत सरकार के निर्देश के तहत स्थापित इस पोर्टल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि झारखंड के निवासियों को उत्तरदायी और पारदर्शी प्रशासन प्राप्त हो. नागरिकों की शिकायतों का निवारण नगरीय प्रशासन निदेशालय (डीएमए) की सबसे महत्वपूर्ण पहल में से एक है. पोर्टल को जन समस्याओं के त्वरित समाधान और जिला प्रशासन द्वारा प्रभावी निगरानी के उद्देश्य से होस्ट किया गया है. इस पोर्टल पर शिकायतों के ट्रैकिंग की भी व्यवस्था है, ताकि शिकायतकर्ता को अपनी



Sources of Grievance Received

शिकायत पर की जा रही कार्रवाई की रियल टा पीजीएमएस के माध्यम से शहरी विकास और आवास विभाग द्वारा सार्वजनिक सेवा वितरण में उत्कृष्टता लाने और सार्थक तरीके से नागरिकों की शिकायतों का समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है.

सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के साथ प्रभावी रूप से समन्वय कर और शिकायतों के कारणों को खत्म करने की कोशिश कर रहा है.

संरक्षक
श्री हेमंत सोरेन
माननीय मुख्यमंत्री

संपादक
विनय कुमार चौबे
सचिव
नगर विकास एवं
आवास विभाग

कार्यकारी संपादक
विजया जाधव

नगरीय प्रशासन
निदेशालय
नगर विकास एवं आवास
विभाग

यह बुलेटिन विभाग के
कार्यों के प्रति जन
जागरूकता के उद्देश्य
से प्रकाशित है.



लोक शिकायत प्रबंधन प्रणाली
झारखंड सरकार आपके द्वार



श्री हेमन्त सोरेन
मुख्यमंत्री, झारखंड

नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखंड सरकार द्वारा झारखंड के सभी शहरी नगर निकायों के लिए लोक शिकायत प्रबंधन प्रणाली (PGMS) लागू किया गया है।

संपदा, लाठी, संपदा से सम्बंधित	जनसंख्या से सम्बंधित
लाठी का रोल निदेश के तहत से	Death, Birth Certificate या Trade License से सम्बंधित
Tax, Assessment या Holding Number से सम्बंधित	विभाग के अधिकारी या कर्मियों के कार्यालय से सम्बंधित
अन्य विभाग या नगर से सम्बंधित	प्रकाशित अज्ञात योजना (हस्त) से सम्बंधित (BMA) (U)
उपविभाग से सम्बंधित	प्रकाशित अज्ञात योजना (हस्त) से सम्बंधित (BMA) (U)
विभिन्न विभाग (हस्त) से सम्बंधित	प्रकाशित अज्ञात योजना (हस्त) से सम्बंधित (BMA) (U)
जलपूर्ति से सम्बंधित	LED लाइट से सम्बंधित
शौच से सम्बंधित	पूरा पानी से सम्बंधित
प्रकाश से सम्बंधित	मुद्रांकन से सम्बंधित

यह प्रकाशित रूप आवास विभाग के सम्बंधित अन्य विभागों

राज्य के नागरिक उपयोग विधियों से सम्बंधित अपनी शिकायतें निम्न माध्यमों एवं निम्न नंबरों पर संघर्ष कर सोचभार से शिकायत (सुपुर्द 10 बजे से शाम 5 बजे) तक दर्ज करा सकते हैं।

Toll Free No.
1800-120-2929

Landline No.
0651-712-2727

WhatsApp & sms
7633928444

Website
pgms.dmajharkhand.in

Email
pgms@dmajharkhand.in

अधिक जानकारी के लिये अपने नगर निगम / नगर परिषद / नगर पंचायत कार्यालय में संपर्क करें।

नगरीय प्रशासन निदेशालय, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखंड सरकार द्वारा अनिवार्य में जारी।

Follow us:    @jharkhandDMA

पीजीएमएस में आए शिकायतों का 24 घंटों के अंदर निराकरण होगा



भास्कर न्यूज | आदित्यपुर

बैठक करते अपर नगर आय
एजेंसी स्पेरेटेक के साथ
स्थापित कर यद्द स्थापित

निबंधित श्रमिकों से कराएं काम

निगम क्षेत्र में काम करने वाली एजेंसियों को
केप लगाकर सौम्य श्रमिक योजना
के तहत मजदूरों का होम नियुक्त

20 फौसद अकुशल मजदूर रखने की बाध्यता
नगर निगम को पाठ जोन बादा
जोनल कार्यालय में होम अधिकारी



संगठनकर्ता, सामुदायिक राधन
सेवों की प्रतिनिधित्व कर भव्यवस्थाप
जिम्मेवारी दी गयी है।
हमारे उपायुक्त ने अपर नगर
अनुवृत्त को निर्देशित किया कि चास
नगर निगम के सभी जोनल कार्यालय
में मुख्यमंत्री श्रमिक योजना का
नामांकन कार्य का गतिविधि करने
एवं योजना से संबंधित शिकायत के
लिए फंस रॉडिंग करने तथा
इसका डाटाबेस तैयार करने एवं
निपटारा करने को कहा।
वैदक के निदेश

बुड़ नगर पंचायत बोर्ड की बैठक में 43 योजनाओं को दी गयी स्वीकृति

उत्कृष्ट प्रदर्शन करनेवाले
कूड़ा वाहन चालक तथा
सफाईकर्मी को किया
गया सम्मानित



काय

भाजाद सिपाही संवाददाता
नगर पंचायत कार्यालय में
को नगर अध्यक्ष राजेश
यक्षता में बोर्ड बैठक
नगर पंचायत क्षेत्र
वारे में चर्चा की
वित्त से दो
गया गया।
चौक
हनुमान
टोली के
मेजे का
नगर पंचायत मजिस्ट्रेट कार्यालय

सप्ताह निकाली जायेगी। इस
कोरोना काल में स्वच्छ बुड़ सुदर
बुड़ बनाने के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन
करने वाले कूड़ा वाहन चालक
तथा सफाई कर्मों को उनके उत्कृष्ट
प्रदर्शन के लिए प्रशस्ति पत्र के
साथ ट्रैक सूट का वितरण किया
गया। इस बैठक में मुख्य रूप से
नगर पंचायत मजिस्ट्रेट कार्यालय

नगर परिषद्, रामगढ़ द्वारा
समन किया जाना है। जिसके 3
अनिवार्य है। जिसके आधार पर 2
घटक IV (लाम्को) के
मकान नहीं है, उन्हें स्व निर्माण व

मानगो नदी तट पर पेंटिंग के जरिये स्वच्छता का संदेश



जमशेदपुर: मानगो नगर
निगम के कार्यपालक
पदाधिकारी दीपक सहाय ने
मुख्यमंत्री श्रमिक योजना
पीएम
दीनदयाल
नदी तट पर पेंटिंग के जरिये स्वच्छता का संदेश
प्रबन्ध
प्र.सी.
मुमताज प्र.
टोप्यो आ

पीएम आवास योजना के तहत 80 प्लैट निर्माण को लेकर किया गया भूमि पूजन



जमशेदपुर: संविधान दिवस पर गुरुवार को मानगो नगर
कर्मचारियों ने शपथ ली. कार्यपालक पदाधिकारी दीपक
को प्रस्तावना की शपथ दिलायी.
तथा भूमिहीन परिवारों के
के लिए प्रधानमंत्री आ.
दिसंबर 10 पर 80

स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 के मूल्यांकन के लिए स्वच्छ प्रतियोगिता आज से शुरू

देवघर: शहर के स्कूल अस्पताल,
नगर निगम के स्कूल, अस्पताल,
होटल व स्वच्छ मार्केट एरिया में स्वच्छ
संस्कार के तहत स्वच्छता के आधार पर
मूल्यांकन के लिए प्रतियोगिता होगी।
स्वच्छता-2021 के तहत निगम की पक्ष
के मानकों के आधार पर प्रतियोगिता में
निरीक्षण करेगी. यह निरीक्षण 24, 25 व
26 नवंबर को होगा. जहां स्वच्छता के
मानकों के आधार पर प्रतियोगिता के तहत

हमारे स्वच्छ प्रेरक को सम्मानित भी किया
जा चुका है. साथ ही घर से बेहतर शोध
करने वाले व मदगी फैलाने वाले लोगों से
आर्थिक दंड भी वसूल गया है. मूल्यांकन
के आधार पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले
नगरों को सम्मानित किया जायेगा.
ये है शामिल:
स्वच्छ सतारा
केरल व
निगम के वरीय
र. निगम के
गमिल रहे.

जुलाई तक किये जायेंगे. इस संबंध में
लेखक को नगर आंकु श.
लाल के निर्देश पर नीतिगत क
मूल्यांकन को जानकारी दी ग
किए मनकों पर सेंटिंग की जा
भी जानकारी दी गयी. नगर आ

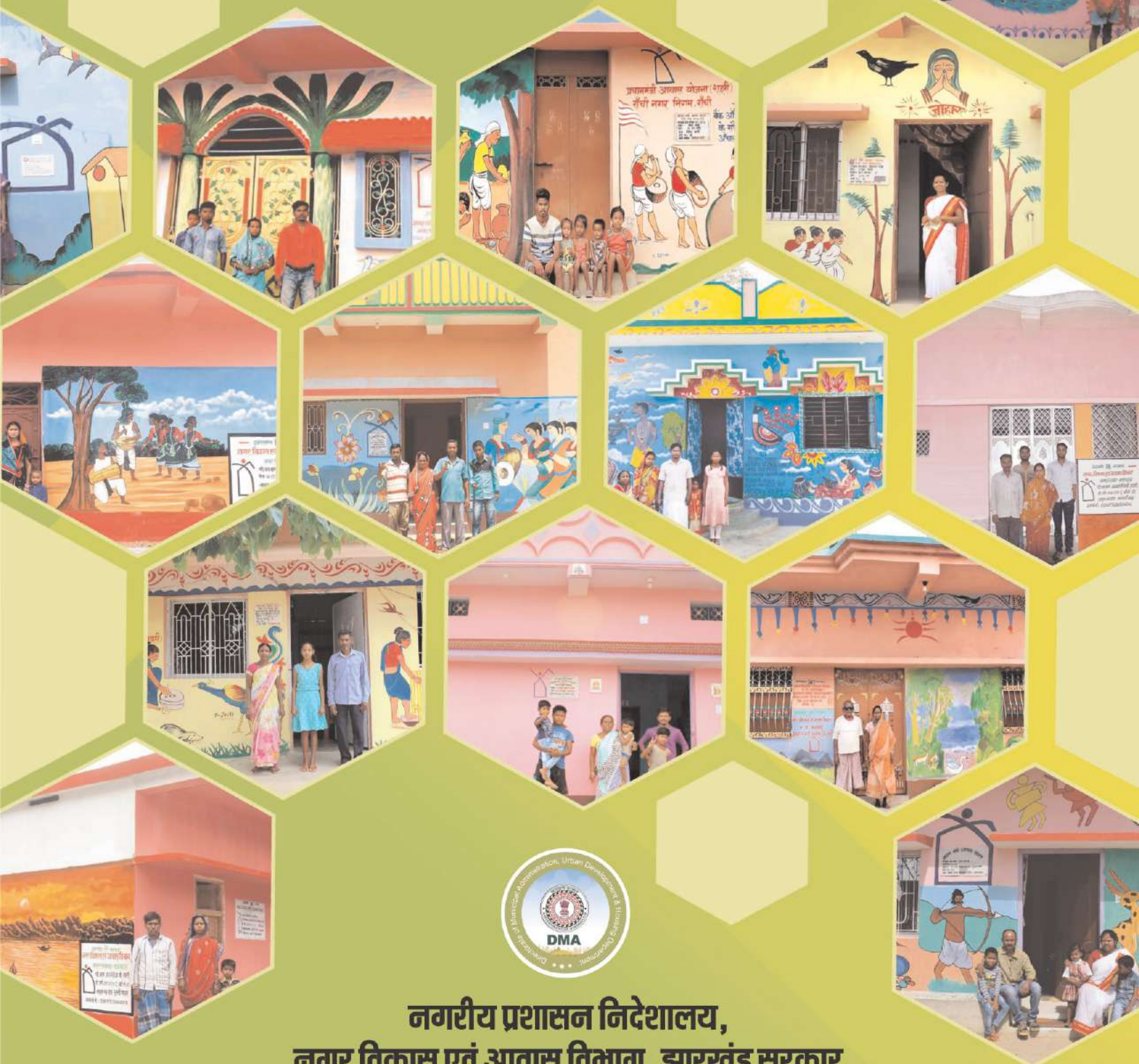
फुटपाथ पर सोने वालों को ले जाया जायेगा आश्रय गृह

जमशेदपुर: ठंड के दस्तक देते हैं मानगो
नगर निगम ने फुटपाथ पर सोने वाले
लोगों को रेस्क्यू कर आश्रय गृह ले जाने
नवम्बर को लिया है. निगम की
नयनी में



मानगो निगम कर्मियों ने ली शपथ
जमशेदपुर: संविधान दिवस पर गुरुवार को मानगो नगर
कर्मचारियों ने शपथ ली. कार्यपालक पदाधिकारी दीपक
को प्रस्तावना की शपथ दिलायी.
तथा भूमिहीन परिवारों के
के लिए प्रधानमंत्री आ.
दिसंबर 10 पर 80

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी
मिला सपनों का घर तो आखें गयीं भर..
साकार हुआ सपना, घर मिला अपना



नगरीय प्रशासन निदेशालय,
नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखंड सरकार

3rd Floor, FFP Building, Dhurwa, Ranchi-834001, Jharkhand

Toll free No.: 1800-120-2929 | Website: dmajharkhand.in | Follow us: [f](https://www.facebook.com/dmajharkhand) [i](https://www.instagram.com/dmajharkhand) [y](https://www.youtube.com/dmajharkhand) @jharkhandDMA